

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिलत

मुकाम

श्री नारायण

बनाम सदाशिव चवरी (उपरोक्त अहकाम) विधा 19 बजे


किस्म मुकदमा

इसी का

नं.

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26-8-19	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्राचीन अभवा अधिकता प्राचीन में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 उनका श्री नारायण पतल्याराम पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दोसा बनाम सहाय अधिकारी (ग्राम अवाधि) उपखण्ड अधिकारी सिकराय व अन्य अदम हाजरी एवं अदम पेशी में खारिज किया जात है निर्णय की प्रति अधीनस्थ-आयालय में प्रेषित की जावे। पत्रावली के सल शुभार होकर बाद भी प्रविष्ट लेख भंडार हो। निर्णय आज दिनांक 26-8-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>उपरोक्त अहकाम रिपोर्ट नं. पत्रावली 1930 दिनांक 29-08-19 द्वारा प्रेषित जुड़िया</p>


जिला कलेक्टर
दोसा

